International Journal of Advanced Education and Research
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.alleducationjournal.com
Volume 2; Issue 3; May 2017; Page No. 145-146

पाणिनीय व्याकरण में अधिकार विवेचन

Ghodake Somashankar

PhD, Department of Sanskrit, Delhi University, New Delhi, Delhi, India

प्रस्तावना

वेदार्थ बोध के लिए शिक्षा कल्प आदि 6 वेदाङ्गों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। उन छः अङ्गों में व्याकरण को ही मुख्य अङ्ग बतलाया गया है। व्याकरण भी ऐन्द्र चान्द्र आदि अनेक बतायें गए हैं, उन सबमें पाणिनीय व्याकरण ही सर्वोत्तम्, सशक्त, प्रभावशाली तथा प्रसिद्ध भी है। पाणिनीय व्याकरण का सर्वस्व अष्टाध्यायी है, जो सूत्रों में निबद्ध है। व्याकरण का मुख्य प्रयोजन लाघव भी है, जो सूत्ररूप में ही सम्भव है, क्योंकि यहाँ कहीं भी असङ्गति, अनर्थकता आदि दिखाई नहीं देते हैं। तथा सूत्र सारभूत होता है। जैसा कि कहा भी गया है–

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखम्।
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।

अर्थात् जो अल्प अक्षरों या शब्दों में हो, संदेह–रहित हो, सारगर्भित हो, उसे सूत्र कहते हें। व्याकरण शास्त्र में सूत्र छः प्रकार के होते हैं–

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।
अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्र लक्षणम्।।

अर्थात्– संज्ञासूत्र, परिभाषा सूत्र, विधिसूत्र, नियमसूत्र अधिकार सूत्र एवं अतिदेश सूत्र। ये छः प्रकार के सूत्रों का उल्लेख पाणिनीय व्याकरण में प्राप्त होता है। इसमें अधिकार सूत्र का भी विशेष महत्व है।

अधिकार सामान्येन सूत्रों का एक प्रकार है, ''अधिकार करने वाला नियम अथवा जो एकपद वाला है'' अर्थ में अधिकार का प्रयोग मिलता है। जैसे– प्रत्ययः[1], कारके[2], धातोः[3], समासान्ताः[4], तद्धिताः[5], अनेक पदों का समूह जैसे– 'ङ्याप्प्रातिपदिकात्'[6], ''सर्वस्य द्वे''[7] होता हैः यह अधिकार एक सीमा तक आगे आने वाले प्रत्येक सूत्र के साथ सम्बद्ध हो जाता है या अनुगमन करता रहता है।

पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में ''दीधीवेवीटाम्''[8] की व्याख्या में अधिकार शब्द के अर्थ पर विस्तार से विचार किया है, जहाँ उन्होंने अधिकार और परिभाषा में अन्तर बताया है– 'अधिकारः प्रतियोगं तस्यादिनर्देशार्थ इति योगे उपनिष्ठते। परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती सर्व शास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत्।[9] वह पद या पदावली जो आगे के सूत्रों में साथ साथ चलता है ''अधिकार'' की तरह, उसके बारे में कहा जाता है कि पाणिनि में उन्हें स्वरितोच्चार या स्वरितत्वेनोच्चारण वाला बनाया था।

''अधिकार'' वह पद है जो आगे आने वाले सूत्रों में आवृत्त होता है, उसे अधिकृत कहा जाता है। शब्द–कौस्तुभ् में अधिकार की व्याख्या करते हुए लिखा है– 'एकत्रोत्तस्यान्यत्र व्यापारः अधिकारः'[10] कभी–कभी पूरा का पूरा सत्र आवृत्त किया जाता है जैसे– 'प्रत्ययः'[11], अङ्गरच[12], 'समासान्ताः',[13] जबकि कुछ स्थलों पर केवल सूत्र का कुछ अंश आवृत्त होता है। यह अधिकार एक सीमा विशेष तक ही जाता है, कई बार यम सीमा सूत्रों में व्यक्त होती है, जबकि अनेक बार ऐसा नहीं होता और प्रसङ्ग अथवा उदाहरण के द्वारा उसे समझा जाता है। सीमा की अभिव्यक्ति के कुछ निदर्शन– 'असिद्धवदत्राभात्'[14], प्रागीश्वरान्निपाताः[15] कुछ अवसरों पर प्राच्य पारम्परिक व्याख्याकारों ने परम्परा के आधार पर अधिकार की सीमा का निर्धारण किया है, इस परम्परा को 'स्वरितत्वप्रतिज्ञा' कहते हैं। इस अधिकार का तीन प्रकार का प्रभाव होता है। (1) इसके अधिकार प्रभाव में आने वाले प्रत्येक नियम में उपस्थित होकर जैसे– स्त्रियाम् अथवा अङ्गस्य; (2) अधिक गुण अथवा धर्म दिखलाकर जैसे कि अपादान पद उन कारकों में भी उपस्थित होता है, जहाँ वास्तविक रूप में कोई पार्थक्य नहीं है जैसे– सांकाश्यकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा; (3) अतिरिक्त प्रभाव दिखलाकर जैसे कि आगामी नियमों को भी अलग रखते हुए यदि वे विरोध में आ रहे हों। ये तीन प्रकार के प्रभाव जो स्वरित चिन्ह युक्त पद में होते हैं और इसलिये उसे अधिकार कहा जाता है, क्रमशः अधिकारगति, अधिककार्य और अधिककार कहलाते हैं। यह अधिकार अपने प्रभाव को तीन रूपों में व्यक्त करता हैं– (1) सामान्येन आगे आने वाले सूत्रों/नियमों में नदी की धारा की तरह मिलकर (2) कभी कभी बीच में आने वाले एक या अधिक नियमों को छोड़कर आगे के नियमों में मण्डूकप्लूतिन्यास में मिलकर (3) बहुत कम जगह पर सिंहदृष्टि की तरह पीछे के नियमों में समाविष्ट होकर।[16]

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 'उत्तरोत्तरसूत्रेषु स्वघटकपदसमर्थकसूत्रम् अधिकार सूत्रम्' अर्थात् आगे आने वाले सूत्रों में अपना अधिकार (प्रभाव) रखने वाला सूत्र अधिकार सूत्र है अथवा अधिकार सूत्र वह है, जिसे किसी निश्चित अवधि पर्यन्त के सूत्रों में जाकर बैठने का अधिकार होता है।

संदर्भ सूची

1. अष्टा. 3/1/1
2. अष्टा. 1/4/23
3. अष्टा. 3/1/91
4. अष्टा. 5/4/68
5. अष्टा. 4/1/76
6. अष्टा 4/1/1
7. अष्टा. 8/1/1
8. अष्टा 1/1/6 पर महाभाष्य
9. अष्टा. 1/3/11, 1/4/14, 4/1/84 पर महाभाष्य
10. अष्टा. 1/2/65 (शब्दकौस्तुभ)
11. अष्टा 3/1/1
12. अष्टा 6/4/1

13. अष्टा. 5/4/68
14. अष्टा 7/4/22
15. अष्टा. 1/4/56
16. द्रष्टव्य– सिंहावलोकितं चैव मण्डूकप्लुतमेव च। गङ्गा–प्रवाह–वच्यपि अधिकारास्त्रिधा मनाः। अधिकारक्षेत्र, अधिकार की प्रवृत्ति के स्थलः वाक्य– 2/79 तथा– प्रतिपाद्येषु शब्देसु व्याकरणशास्त्राधिकारः। अभिधेयेऽर्थे शब्दस्याधिकारः– वाक्य– 2/79 (परपुण्यराज)